न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 235/2024

अनवान : –

1. बनवारी पुत्र रामकुमार जाति नायक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2. लीलूराम पुत्र मामचन्द जाति नायक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
3. बिन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति नायक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. हनुमान पुत्र मामचन्द जाति नायक निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री महेश शर्मा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 12/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 66/67 की कुल 18.6510 हैक्ट भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। वाद भूमि आबादी के चिपते हुए है। गैरसायल संख्या 1 द्वारा बिना खाता विभाजन करवाये आबादी के चिपते हुए अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होकर छोटे छोट टूकड़ों में भूमि बेचान करना चाहते है एवं बिना संपरिवर्तन करवाये निर्माण करवाना चाहते है तथा सीव डोल सम्बन्धि विवाद रहता है। गैरसायल स0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थी स0 1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का अच्छी व मंदी भूमि के मुताबिक जब तक खाता, विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 66/ 7 की कुल 18.6510 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि में बिना संपरिवर्तन करवाये निर्माण कार्य न करे एवं विशेष हिस्से का बेचान न करें।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता द्वारा दिनांक 20.08.2024 को समेस्ता पत्नी शीशराम जाति मेघवाल को विक्रय कर दी है जिसका ज्ञान सायल को है उक्त नामान्तरण को रूकवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वाद भूमि का काफी वर्षो पूर्व घरेलू बंटवारा किया हुआ है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकारान काबिज है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी जो अपूरणीय होगा। इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:31 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 आरडब्यूडी के खाता स0 86/84 की कुल 5.3900 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 249/219 की कुल 3.4900 हैक्ट तथा रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 250/218 की कुल 1.8840 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 30/172 की कुल 9.6870 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायल स0 1 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है परन्तु प्रार्थी का कथन है कि उक्त कृषि भूमि में बिना संपरिवर्तन करवाये निर्माण कार्य किया जा रहा है अतः बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के निर्माण हेतु उभयपक्षों का पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 19.09.20243 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है एवं उभयापक्षो को पाबन्द किया जाता है कि सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना निर्माण कार्य करने से निषिद्ध रहे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:31 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर